दिनांक: 02.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा प्रतिबन्धित चाईनीज मांझा बेचने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 04 चरखी (सील बंद,कुल वजन 1.400 किग्रा K COBRA GOLD COMPANY) का प्रतिबन्धित मांझा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में प्रतिबंधित चाईनीज मांझे के कारोबार में संलिप्त अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित थाना मण्डी के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 01.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त **शहदाईरजा उर्फ गुड्डू पुत्र रिजवान हुसैन निवासी सराय मर्दान अली निकट अनवारिया मस्जिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को अंगूरी मस्जिद के पास लक्खी गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 04 चरखी(सील बंद,कुल वजन1.400 किलो ग्राम) जिसमें (K COBRA GOLD COMPANY) का प्रतिबन्धित मांझा है जिस पर For Industrial Use Only अंकित है। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 27/2024 धारा 188/336 भादवि व 5/15 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त शहदाईरजा उर्फ गुड्डू उपरोक्त द्वारा बताया गया कि आगामी वसन्त पंचमी त्यौहार पर प्रतिबंधित माँझा बेच कर अच्छा मुनाफा हो जाता है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शहदाईरजा उर्फ गुड्डू पुत्र रिजवान हुसैन निवासी सराय मर्दान अली निकट अनवारिया मस्जिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी-

04 चरखी(सील बंद,कुल वजन1.400 किलो ग्राम) जिसमें (K COBRA GOLD COMPANY) का प्रतिबन्धित मांझा है जिस पर For Industrial Use Only अंकित है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 राजकुमार त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 451 अमित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. का0 2221 लोकेश कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 02-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चे को किया गया सकुशल बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व गुमशुदा की तलाश/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार अधाना के कुशल नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 21/24 धारा- 363 भादवि में गुमशुदा वंश भार्गव पुत्र सतीश भार्गव निवासी गाँधी कालोनी गली न0-11 थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर उम्र 14 वर्ष जो थाना क्षेत्र गागलहेड़ी में अपने मामा के घर से किसी बात पर नाराज होकर चला गया था और मुजफ्फरनगर रैन बसेरा में रह रहा था। प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा वंश भार्गव उपरोक्त को मुजफ्फरनगर रैन बसेरा से सकुशल बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही कर गुमशुदा को परिजनों के सुपुर्द किया जा रहा है।

गुमशुदा का नाम व पता

वंश भार्गव पुत्र सतीश भार्गव नि0 गाँधी कालोनी गली नं0- 11, थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामद करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री राशिद खान थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 398 नरदेव सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 02.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी,सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया पर जनमानस की धार्मिक भावनाओ को आहत पहुँचाने वाली पोस्ट करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 01.02.2024 को वादी नीरज शर्मा पुत्र अन्नत शर्मा निं0-सम्राट विकाश कालोनी,थाना मण्डी,जनपद सहारनपुर द्वारा लिखित तहरीर बाबत उजैफ पुत्र फैजान द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी इंस्टाग्राम आई0डी0 से भगवान श्री राम के विरूद्ध आपत्तिजनक/अशोभनीय टिप्पणी करने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0स0 26/2024 धारा 505(2)/295ए/153ए भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली व भड़काने पोस्ट/टिप्पणी करने वाले अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी/धरपकड़ अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित थाना मण्डी के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 01.02.2024 को 01**अभियुक्त उजैफ पुत्र फैजान निवासी पीरवाली गली न0 25 निकट सकूरी मस्जिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को आली की चुंगी ,अम्बाला रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उजैफ उपरोक्त द्वारा बताया गया कि जब से अयोध्या में हिन्दू धर्म के श्री राम भगवान के मन्दिर का निर्माणा हुआ है तब से कुछ लोग मुझसे ये कह रहे थे कि भारत अब पूर्ण रूप से हिन्दू राष्ट्र बनेगा और मुस्लिमो को भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिस कारण मैं काफी परेशान हो गया था और गुस्से मे आकर अपनी इंस्टाग्राम आईडी से हिन्दू धर्म के भगवान राम जी के खिलाफ अभद्र, शर्मनाक व अशोभनीय टिप्पणी कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

उजैफ पुत्र फैजान निवासी पीरवाली गली न0 25 निकट सकूरी मस्जिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी-

मोबाईल (ओप्पो कम्पनी) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. अतिरिक्त निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. का0 1029 नितिन कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. का0 1802 बिट्टू कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 02.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 12 घण्टे दुकान में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 03 शातिर चोर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 3840/- रुपये व घटना में प्रयुक्त 02 छुरे बरामद।

अगत कराना है कि दिनांक 01.02.2024 को वादी श्री शलभ सैनी पुत्र श्री महक सिह सैनी निवासी मौहल्ला चौधरीयान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित सूचना बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी की दुकान सत्यम ट्रैडर्स की छत के रास्ते आकर लोहे के जाल को काटकर दुकान के गल्ले मे रखे करीब 40,000/- रूपये चोरी कर लेने के संबंध में थाना नकुड पर मु0अ0सं0 22/24 धारा 380/457 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, लूट/चोरी की घटनाओ की रोकथाम व इनमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02.02.2024 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण **1. गोविन्द कुमार शर्मा उर्फ पण्डित पुत्र सन्दीप शर्मा निवासी मौहल्ला मुंशीपुरा कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 2. अमन उर्फ आर्यन पुत्र राजवीर सिंह उर्फ राजू निवासी ग्राम छाप्पर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 3. अभिनव पुत्र ऋषिपाल निवासी बिजली घर के पास कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी हुए रुपयो में से **3840/- रुपये व घटना में प्रयुक्त 02 छुरे बरामद** किये गये। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम तीनो ने दिनांक 30.01.2024 को बस स्टैण्ड नकुड पर सत्यम ट्रैडर्स की दुकान में छत के रास्ते से घुसकर दुकाने में गल्ला तोड़कर पैसे निकाले थे और आपस में बाँट लिये थे। पुलिस टीम द्वारा आज 3840/- रपये हमसे बरामद किये गये हैं वो हमने दुकान सें चोरी किये थे और बाकी पैसे हम लोगो ने खर्च कर दिये। पुलिस टीम द्वारा जो 02 छुरे हमसे बरामद किये गये है उन्हे हम घटना करते समय अपनी सुरक्षा व लोगो को डराने व धमकाने के उद्देश्य से अपने पास रखते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. गोविन्द कुमार शर्मा उर्फ पण्डित पुत्र सन्दीप शर्मा निवासी मौहल्ला मुंशीपुरा कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. अमन उर्फ आर्यन पुत्र राजवीर सिंह उर्फ राजू निवासी ग्राम छाप्पर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. अभिनव पुत्र ऋषिपाल निवासी बिजली घर के पास कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

<u>अभियुक्त गोविन्द उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0अ0सं0 101/23 धारा 392/411/504/506 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 261/23 धारा 398/401 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

<u>अभियुक्त अमन उर्फ आर्यन उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0अ0सं0 42/23 धारा 63 आब0 अधि0 चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 101/23 धारा 392/411/504/506 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

<u>अभियुक्त अभिनव उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0अ0सं0 106/23 धारा 380/411/427 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 261/23 धारा 398/401 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1. कुल 3840 /- रुपये।
2. 02 छुरे (अभियुक्तगण गोविन्द व अमन उपरोक्त से बरामद)।

<u>अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री मौ0 जहाँगीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1122 प्रवीण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. है0का0 482 बलराम पवार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. है0का0 558 सन्दीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

दिनांक: 02.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा द्वारा प्रतिबन्धित चाईनीज मांझा बेचने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 03 चरखी (सील बंद,कुल वजन 1.666 किग्रा HERO PLUS) का प्रतिबन्धित मांझा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे प्रतिबंधित चाईनीज मांझे के कारोबार में संलिप्त अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व मे थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 01.02.2024 को मुखबिर कि सूचना पर 01**अभियुक्त शिवकुमार पुत्र रवि कुमार निवासी मौ0 विश्वकर्मानगर चौकी हसनपुर थाना सजर बाजार जनपद सहारनपुर** को एमपीएस की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **03 चरखी (सील बंद,कुल वजन 1.666 किग्रा HERO PLUS)** प्रतिबंधित चाईनीज मांझा बरामद हुई । बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 18/2024 धारा 188/336 भादवि व 5/15 पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शिवकुमार पुत्र रवि कुमार निवासी मौ विश्वकर्मानगर चौकी हसनपुर थाना सजर बाजार जनपद सहारनपुर 0

बरामदगी का विवरणः-

1. 03 चरखी (सील बंद,कुल वजन 1.666 किग्रा HERO PLUS) का प्रतिबन्धित।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 सचिन पूनियां थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 अमित 854कुमार कुतुबशेर सहारनपुर।
4. का0 सचिन 2411 कुमार कुतुबशेर सहारनपुर।

दिनांक: 02-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा गौकशी करने वाले 02 शातिर गौकश अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 2.5 कुन्तल गौमांस, गौवंश अवशेष व गौकशी के उपरकण बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व गौकशी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा गौकशी कर रहे **अभियुक्तगण 1. जमील पुत्र अब्दुल लतीफ नि0 मौ0 कुरेशियान कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर व 2. मोनिश पुत्र फईम नि0 मौ0 कुरेशियान कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर** को कस्बा गंगोह में एच0पी0 पैट्रोल पम्प के आगे तीतरो रोड पर कमेले से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से करीब 2.5 कुन्तल गौमांस एवं गौवंश अवशेष (सिर, पैर, अस्थिपंजर, खाल आदि), 02 छुरी लोहा, 01 कुल्हाड़ी, 01 सुंआ, 01 लकड़ी का गुटका, 03 प्लास्टिक की रस्सी बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 29/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. जमील पुत्र अब्दुल लतीफ नि0 मौ0 कुरेशियान कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर।
2. मोनिश पुत्र फईम नि0 मौ0 कुरेशियान कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

2.5 कुन्तल गौमांस
गौकशी के उपकरण (02 छुरी, 01 कुल्हाड़ी, 01 सुंआ, 01 लकड़ी का गुटका, 03 प्लास्टिक की रस्सी)
गौवंश अवशेष (सिर, पैर, अस्थिपंजर, खाल)

अभियुक्त जमील उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 226/18 धारा 429 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2.मु0अ0सं0 516/12 धारा 147/323/504/506 थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
3.मु0अ0सं0 29/24 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री संदीप सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री उपेन्द्र राणा थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. हे0का0 322 मोनू चिकारा थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. का0 688 प्रवीण तोमर थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. का0 579 शेखर थाना गंगोह जिला सहारनपुर
6. का0 1741 अनुज थाना गंगोह जिला सहारनपुर

दिनांकः 02-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 15 घण्टे में तमंचे के साथ वीडियों बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर अराजकता फैलाने वाले 03 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 01.02.2024 को सूचना प्राप्त हुई कि इन्स्टाग्राम आईडी-SANKEY988 से एक वीडियो अपलोड की गयी थी, जिसमें चार अज्ञात व्यक्ति गाडी में बैठे तमंचा लेकर रील बना रहे है, के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 16/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए घटना की जांच कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 02.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. सैंकी यादव पुत्र भीमसिंह नि0 चकहरेटी थाना जनकपुरी सहारनपुर, 2. आदित्य पुत्र कंवरपाल नि0 सरकारी शौचालय के पास शान्तिनगर थाना जनकपुरी सहारनपुर, 3. दीपक कश्यप पुत्र स्व0 सोमपाल नि0 चकहरेटी थाना जनकपुरी सहारनपुर खुर्द अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के एक अन्य साथी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अभियुक्तगण के कब्जे से विडियो के दौरान प्रयुक्त की गयी गाडी स्विफ्ट डिजायर रजि0 नं0 UK 07 AV 4600 बरामद की गयी। अभियुक्तगण के कब्जे से एक तमंचा व दो चाकू बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 16/24 में 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।

अभियुक्त सैंकी उपरोक्त ने बताया कि मैने यह तमंचा एक राह चलते व्यक्ति से खरीदा था जिसका नाम व पता मैं नही जानता हूँ। तीनों अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगों ने अपनी दादागिरी जमाने के लिए वीडियों बनाया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सैंकी यादव पुत्र भीमसिंह नि0 चकहरेटी थाना जनकपुरी सहारनपुर,
2. आदित्य पुत्र कंवरपाल नि0 सरकारी शौचालय के पास शान्तिनगर थाना जनकपुरी सहारनपुर,
3. दीपक कश्यप पुत्र स्व0 सोमपाल नि0 चकहरेटी थाना जनकपुरी सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः

- 01 गाडी स्विफ्ट डिजायर रजि0 नं0 UK 07 AV 4600
- 01 तमंचा
- 02 चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उप निरी0 पीयूष कुमार, थाना जनकपुरी, स0पुर।
2. उप निरी0श्री इन्द्रसैन, थाना जनकपुरी, स0पुर।
3. है0कां0 113 विकास कुमार, थाना जनकपुरी, स0पुर।
4. है0कां0 354 संजीव कुमार, थाना जनकपुरी, स0पुर।
5. है0कां0 221 संजीव तोमर, थाना जनकपुरी, स0पुर।

दिनांकः 02.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर,सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02.02.2024 को **02 वारंटी अभियुक्तगण 1. रितिक पुत्र सुभाष निवासी म0नं0 12/74 मौहल्ला जाटव नगर निकट अम्बेडकर चौक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर व 2. रजत पुत्र देवीचन्द निवासी मौहल्ला जाटव नगर जिन्दी वाली गली निकट धर्मशाला थाना कुतुबशेर सहारनपुर को** सम्बन्धित वाद सं0 384/24 मु0अ0सं0 83/16 धारा 354 (घ) भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. रितिक पुत्र सुभाष निवासी म0नं0 12/74 मौहल्ला जाटव नगर निकट अम्बेडकर चौक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. रजत पुत्र देवीचन्द निवासी मौहल्ला जाटव नगर जिन्दी वाली गली निकट धर्मशाला थाना कुतुबशेर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 2531 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1061 सन्दीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: **02-02-2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व मे थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02.02.2024 को 02 एनबीडब्लू वारन्टी **अभियुक्तगण 1. वसीम पुत्र इकबाल शेख (2) मुस्तरीन उर्फ भूरा पुत्र जहूर निवासीगण ग्राम कुरडीखेड़ा थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर को** सम्बन्धित वाद संख्या 4241/23 धारा 457/380 भादवि को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समये से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. वसीम पुत्र इकबाल शेख निवासी ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर।
2. मुस्तरीन उर्फ भूरा पुत्र जहूर निवासी ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. उ0नि0 विनित चौधरी
2. है0का0 745 दीपक मावी
3. का0 2014 राहुल चौधरी

दिनांक: 02/02/2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 105 ग्राम चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व अवैध मादक पदार्थों की ब्रिक्री/ तस्करी में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त 1.मेहरबान पुत्र फजल नि0 खाताखेड़ी फरमान मस्जिद के पास थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को मा0 न्यायालय सिविल कोर्ट सहारनपुर के पास कोर्ट रोड पर फूड बेक के पास से 105 ग्राम नाजायज चरस के सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 0046/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त मेहरबान उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मुझे, सहरान व जीशान यह चरस लाकर देते हैं। जिसे बेचकर मुझे अच्छी कमाई हो जाती है। चरस बेचकर कमाये हुए पैसों में से मैं उन दोनों को भी हिस्सा देता हूँ। जीशान हमारा मुख्य सरगना है। मैं पिछले कई महीनो से इन दोनों की लायी चरस बेच रहा हूं।

अभियुक्त का नाम पताः-

मेहरबान पुत्र फजल नि0 खाताखेड़ी फरमान मस्जिद के पास थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

105 ग्राम चरस बरामद

अभियुक्त मेहरबान का आपराधिक इतिहास --

1. मु0अ0स0 284/13 धारा 380/411/457 भादवि कोतवाली देहात, सहारनपुर
2. मु0अ0स0 114/2012 धारा भादवि 110जी थाना मण्डी, सहारनपुर
3. मु0अ0स0 177/2013 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर
4. मु0अ0स0 257/2013 धारा 380/411/457 भादवि थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम

1.उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना सदर बाजार, सहारनपुर

2. है0का0 881 धीरज थाना सदर बाजार, सहारनपुर

3. है0का0 67कुलदेव थाना सदर बाजार, सहारनपुर